न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती भारद्वाज आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या– 07/2006

प्रार्थना पत्र श्री कमरूद्दीन पुत्र श्री शमशुद्दीन कौम मुसलमान निवासी धौलपुर

प्रार्थना पत्र बाबत् नक्शा तरमीम करने

उपस्थितिः– अभिभाषक प्रार्थीः– श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट
अभिभाषक अप्रार्थीः– श्री देवेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ एडवोकेट
श्री राजेन्द्रसिंह राना एडवोकेट
श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट
श्री रमाकांत शर्मा एडवोकेट

आदेश दिनांक 6.05.2022

प्रार्थी कमरूद्दीन पुत्र श्री शमशुद्दीन ने प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया था, कि ग्राम झोर तहसील धौलपुर स्थित उसकी आराजी खसरा नम्बर 68/404, रकवा 16 विस्वा, तथा खसरा नम्बर 68 के अन्य खसरा नम्बरान 68/394, 68/395, 68/396, 68/400, 68/402, 68/403, 431/68, 432/68 का नक्शा अक्स में तरमीम मौके व रकबे के अनुसार नहीं हो रही है। प्रार्थी ने जॉच कर प्रार्थी के खसरा नम्बरान की तरमीम किये जाने व नक्शा दुरूस्त कराये जाने के आदेश दिया जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर खसरा नम्बर 68 से सम्बन्धित सभी खातेदारान/गैर खातेदारान को तलब किया गया। उभयपक्षों के जबाब व बहस को सुनने के पश्चात् आदेश दिनांक 01.04.2008 के द्वारा तहसीलदार धौलपुर को प्रकरण में पारित पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 24.10.1994 की की पालना कर खसरा नम्बर 68 बाकै ग्राम झोर तहसील धौलपुर सम्पूर्ण रकवा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक खसरा नम्बरान की तरमीम प्रस्तावित कर न्यायालय में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 01.04.2008 के विरूद्ध अनिल पुत्र केदारनाथ जाति वैश्य ने माननीय न्यायालय सभांगीय आयुक्त महोदय भरतपुर के अपील प्रस्तुत की, माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2009 को यह कहते हुए अपील खारिज की कि आदेश दिनांक 01.04.2008 पूर्व उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 24.10.1994 की कियान्विती करने का आदेश है। अलग से कोई अपीलेविल आदेश नहीं है। इसके वाद अपीलाण्ट ने अनिल पुत्र केदारनाथ ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की थी। माननीय न्यायालय में अपील इस विवेचना के साथ खारिज की, कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 01.04.2008 को अपीलेवल नही मानने में कोई त्रुटि नहीं की है क्योंकि इस आदेश में मात्र पूर्व आदेश की पालना किये जाने के

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

आदेश दिया है। की जावे, जहाँ तक नक्शे में तरमीम करने के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है, प्रथम तो भू अभिलेख अधिकारी को कानून में ऐसा अधिकार है। द्वितीय आदेश दिनांक 24.10.1994 में तरमीम प्रस्तावित का आदेश दिया गया है जिसके विरूद्ध कोई अपील पेश नही की गई है। अतः अपील सारहीन मानते हुए माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी।

पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24.10.1994 द्वारा तत्कालीन उपखण्डाधिकारी धौलपुर द्वारा यह निर्देशित किया गया कि सम्पूर्ण खसरा नम्बर 68 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे एवं मौके पर उपलब्ध रकबे की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि करीब 3 बीघा भूमि मौके पर कम है तथा यह निर्देश दिये गये कि यह जॉच की जावे कि जो तरमीम की गई थी, वह किसके आदेश से की गई एवं कब की गई थी तथा पक्षकारों का आवन्टन का क्रम क्या रहा और मौके पर रकवा कम होने के कारण भूमि के कमी के अनुपात में समस्त व्यक्तियों के रकवे मे से तुलनात्मक कमी की जाकर तरमीम के प्रस्ताव तैयार किये जावे एवं तहसीलदार धौलपुर स्वयं प्रस्ताव तैयार करे। दौराने कार्यवाही खसरा नम्बर 68/404के अपने खातेदारी अधिकार श्रीमती ऊषा पत्नी केदारनाथ व नीरा भार्गव पत्नी विनोद भार्गव को दिनांक 22.02.2006 को जरिये पंजीकृत विकृय विलेख द्वारा हस्तान्तरण कर दिये तथा श्रीमती ऊषा एवं श्रीमती नीरा भार्गव ने जरिये वयनामा दिनांक 16.08.2021 से श्री गिरीश कुमार गर्ग को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार विकृय कर दिये गये।

प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24.10.1994 एवं दिनांक 01.04.2008 की पालना में तहसीलदार धौलपुर द्वारा पत्रांक 804 दिनांक 08.04.2022 से खसरा नम्बर 68 ग्राम झोर तहसील धौलपुर पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज सभी खातेदारो के संबंध में रिपोर्ट के साथ नवीन तरमीम नक्शा प्रस्तावित कर प्रस्तुत की गई। तहसीलदार धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाइजेशन कार्यक्रम अन्तर्गत तहसील धौलपुर को ग्राम झौर के खसरा नम्बर 68 (9 बटा नम्बर सहित) को छोडकर तत्समय ऑनलाईन किया गया था। ग्राम झौर के खसरा नम्बर 68 में तरमीम सम्बन्धी विवाद होने के कारण तत्समय ऑनलाईन से शेष छोड़ा गया था। उक्त खसरा नम्बरान को ऑनलाईन कराये जाने हेतु माननीय राजस्व मंडल अजमेर से बार-बार स्मरण पत्र/ अ0शा0 पत्र प्राप्त हो रहे है। चूंकि मूल खसरा नम्बर 68 में खसरा नम्बर 68/394, 68/396, 68/402, 68/403 की तरमीम हो रही है जो मौका कब्जानुसार नहीं है तथा खसरा नम्बर 68/395, 68/400, 68/401, 68/404, 431/68, 432/68 तथा 439/68 की नक्शे में तरमीम नहीं हो रही है। सभी 12 बटा खसरा नम्बरों की तरमीम मौका कब्जानुसार प्रस्तावित की गई जिसमें पूर्व से हो रही तरमीम में मौके की स्थिति के अनुसार संशोधन किया जाना आवश्यक है रिकार्ड में दर्ज खातेदारान द्वारा प्रस्तावित तरमीम पर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये गये है। साथ ही पहचान स्वरूप अपने-अपने आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। तरमीम संबंधी न्यायालय में कमरूद्दीन बनाम सरकार काफी लम्बे समय से जैरकार है न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.10.1994 के द्वारा इस प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 के तहत यह आदेशित किया गया कि मौके पर उपलब्ध भूमि के अनुसार आनुपातिक कमी कर तरमीम

खण्डाधिकारी

प्रस्तावित की जावें। तहसीलों में ऑनलाईन करने हेतु सेग्रीगेशन तरमीम बाबत् भी मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पत्रांक राम/भू0अ0/एनएलआरएमपी/एफ-126/ 2018/1586 दिनांक 16.08.2018 जिसमें मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम कर सेग्रीगेशन कार्य को कराये जाने के निर्देश दिये गये है। मूल खसरा नम्बर 68 रकवा 18 बीघा 7 बिस्वा बाके ग्राम झौर के सभी 12 बटा खसरा नम्बरान की वर्तमान जमाबंदी एवं सहमति पत्र एवं प्रस्तावित तरमीम नक्शा प्रस्तुत कर यह भी अंकित किया कि सेग्रीगेशन तरमीम कराये जाने हेतु जमाबंदी एवं नक्शों में दोनों में एकरूपता स्थापित करने हेतु सभी खातेदारान की आपसी सहमति कायम कर मौके पर वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम प्रस्तावित की गई है। इस प्रस्तावित तरमीम को तैयार करने में पूर्व में हो रही तरमीम में मौके की स्थिति के अनुसार संशोधन करते हुए नवीन तरमीम किया जाना आवश्यक है। रिकार्ड में दर्ज खातेदारान द्वारा प्रस्तावित तरमीम नक्शा (मौके पर जिस स्थिति में जैसे काबिज है उस स्थिति में तरमीम करने पर) सहमति प्रदान की है, साथ ही तरमीम बाबत् न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को भी कब्जे अनुसार तरमीम होने पर प्रत्याहरित करने की सहमति प्रदान की गई है। कमरूद्दीन की भूमि का वयनामा वर्तमान में केता गिरीश कुमार गर्ग के नाम हो चुका है उनके सहमति हस्ताक्षर कराये गये है।

स्वामित्व बाबत् प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जयपुर एवं माननीय जिला न्यायाधीश धौलपुर में विचाराधीन है। खसरा नम्बर 68/397 (431/68, 432/68) कुल रकवा 5 बीघा 19 बिस्वा में पूर्व से 1000–1000 वर्ग मीटर, के चार आवासीय पट्टे पुराने बाडी रोड के मध्य से 50 फीट दूरी पर जारी हुये थे। जिनके मध्य 20–20 फीट की भूमि छोडी गई है जो वर्तमान में मौके पर नहीं है एक मात्र रास्ता भारतीय आदर्श विद्या मन्दिर स्कूल के गेट के सामने मौके पर बना हुआ है। उक्त आवासीय पट्टों में भिन्न नामान्तकरण से इन्द्राज हुआ है एवं चौसाला जमाबंदी के दौरान चारों पट्टो का एक ही खसरा नम्बर 432/68 रकवा 1 बीघा 8 बिस्वा (00–07, 00–07, 00–07, 00–07) बीघा का गैर मुमकिन आबादी का एक ही नम्बर कायम कर तरमीम प्रस्तावित की गई है। खसरा नम्बर 68/396 रकवा 2 बीघा पर अंकित खातेदारान का आपसी सहमति से विभाजन तहसील कार्यालय धौलपुर में दिनांक 22.11.2019 को हो चुका है। जिसमें खातेदार ममता, मिथलेश, राजवर्धनसिंह, समयसिंह को बाडी रोड की तरफ उत्तर दिशा की भूमि तथा मोहनसिंह बगैरा पिसरान रामखिलाडी, भोई को पीछे की तरफ दक्षिण दिशा की भूमि का विभाजन हुआ है। विभाजन अनुसार ही मौके पर काबिज हैं।

ग्राम झौर के मूल खसरा नम्बर 68 को ऑनलाईन कराने हेतु सेग्रीगेशन के तहत खसरा नम्बर 68 की बटा नम्बर खसरा नम्बर 68/395 रकवा 1 बीघा 14 बिस्वा पर जगदीश प्रसाद पुत्र रामस्वरूप, अनिल कुमार पुत्र केदारनाथ, मीनादेवी पत्नी रामप्रसाद व राधेश्याम पुत्र होतीलाल हिस्सा बरावर खातेदार दर्ज रिकार्ड है इस खसरा नम्बर में जगदीश पुत्र रामस्वरूप एवं अनिल कुमार पुत्र केदारनाथ हि0ब0 ने अपने हिस्से की भूमि को कृषि से अकृषि में भूमि रूपांतरण करा लिया है और मुताबिक रिकार्ड में दर्ज हिस्से व भूमि रूपान्तरण पट्टे के अनुसार मौके पर पुख्ता निर्माण करके काबिज है।

मीनादेवी व राधेश्याम मौके पर अपने हिस्से के रकबे के अनुसार कम रकबे पर काबिज है खातेदार मीनादेवी पत्नी रामप्रसाद व राधेश्याम पुत्र होतीलाल के हिस्से का विक्रय गिरीश कुमार गर्ग के नाम हो चुका है और गिरीश कुमार गर्ग उक्तानुसार काबिज काश्त हो चुके है। गिरीशकुमार गर्ग एवं मृतक अनिल कुमार के वारिसान ने प्रस्तावित सेग्रीगेशन तरमीम पर सहमति जाहिर की है। खातेदार जगदीश प्रसाद द्वारा सहमति नही दी गई।

तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित तरमीम पर आराजी खसरा नम्बर 68 के बटा खसरा नम्बरान पर निम्ननुसार खातेदार काश्तकारों ने सहमति दी गई है:-

क्र० सं०	ख०न०	रकबा	जमाबंदी में दर्ज खातेदार का नाम	वर्तमान में मौके पर काबिज खातेदार काश्तकार का नाम	प्रस्तावित तरमीम पर सहमति (हाँ या नहीं)
			चम्बल धौलपुर वृहद परियोजना	चम्बल धौलपुर वृहद परियोजना	हाँ
1	439/68	0.0506	चम्बल धौलपुर वृहद परियोजना	सीडीबीपी की भूमि शामिल	हाँ
2	68/403	0.2023	शीलादेवी पत्नी मुरारीलाल वैश्य	वारिसान मिथलेश पत्नी, आदित्य, विभु पुत्रगण	हाँ
3	68/395	0.4299	1. अनिल कुमार पुत्र केदारनाथ 2. जगदीशप्रसाद पुत्र रामस्वरूप 3. मीनादेवी पत्नी रामप्रसाद 4. राधेश्याम पुत्र होतीलाल	जगदीश प्रसाद पुत्र रामस्वरूप गिरीश कुमार गर्ग वयनामा से गिरीश कुमार गर्ग वयनामा से	नहीं हाँ हाँ
4	68/394	0.4299	1. अनारदेवी पत्नी रामबाबू त्यागी 2. रचना सरीन उर्फ रूपाली पत्नी रोहिल सरीन 3. रामखिलाडी पुत्र बाबूलाल भोई 4. सोमदत्त शर्मा पुत्र दुर्गादत्त शास्त्री	अनारदेवी पत्नी रामबाबू त्यागी रचना सरीन उर्फ रूपाली पत्नी रोहिल सरीन रामखिलाडी पुत्र बाबूलाल भोई सोमदत्त शर्मा पुत्र दुर्गादत्त शास्त्री	हाँ हाँ हाँ हाँ
5	68/396	0.5058	1 ममता पत्नी वीरेन्द्र सिंह परमार 2मिथलेश शर्मा पत्नी यादवेन्द्र शर्मा 3 मीना पुत्री रामखिलाडी भोई 4 मोहनसिंह पुत्र रामखिलाडी भोई 5 शीला पुत्री रामखिलाडी भोई 6 सोनू पुत्र रामखिलाडी भोई 7 राजवर्धनसिंह पुत्र मानसिंह ठाकुर 8समयसिंह पुत्र सुखपालसिंह ठाकुर	1 ममता पत्नी वीरेन्द्र सिंह परमार 2मिथलेश शर्मा पत्नी यादवेन्द्र शर्मा 3 मीना पुत्री रामखिलाडी भोई 4 मोहनसिंह पुत्र रामखिलाडी भोई 5 शीला पुत्री रामखिलाडी भोई 6 सोनू पुत्र रामखिलाडी भोई 7राजवर्धनसिंह पुत्र मानसिंह ठाकुर 8समयसिंह पुत्र सुखपालसिंह ठाकुर	हाँ हाँ हाँ जरिये अभिभाषक हाँ हाँ जरिये अभिभाषक हाँ हाँ हाँ
6	68/401	0.2529	कुमरपाल पुत्र होतमसिंह कुम्हार गै०खा०	रामवती पत्नी, पदमसिंह, महावीर, दिनेश पुत्रगण	हाँ
7	68/400	0.2529	1 अनिल कुमार पुत्र जगदीशप्रसाद वैश्य 2 अनिल कुमार पुत्र सतीशकुमार ब्रा0 3 अभिषेक पुत्र केशवचन्द ब्रा0 4 ऊषारानी पत्नी कृष्णचंद ब्रा0 5 जगदीशप्रसाद पुत्र नेमीचंद वैश्य 6प्रतिभा पुत्र नरेन्द्र कुमार ब्रा0 7 मुकेश कुमार पुत्र रामचरनलाल वैश्य 8 विजयरानी पत्नी किशनसिंह बघेला 9 विशनस्वरूप पुत्र जोधाराम ब्रा0 10 सरोज पत्नी नरेन्द्र कुमार ब्रा0	सुनीता पत्नी, विशाल, राहुल, कमल पुत्रगण अनिल कुमार पुत्र सतीशकुमार ब्रा0 गिरीश कुमार गर्ग जरिये वयनामा गिरीश कुमार गर्ग जरिये वयनामा जगदीश प्रसाद पुत्र नेमीचंद वैश्य गिरीश कुमार गर्ग जरिये वयनामा मुकेश कुमार पुत्र रामचरनलाल वैश्य विजयरानी पत्नी किशनसिंह बघेला विशनस्वरूप पुत्र जोधाराम ब्रा0 गिरीश कुमार गर्ग जरिये वयनामा	हाँ हाँ हाँ हाँ लिखित सहमति पेश की हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ
8	68/402	0.2529	1 अशोक कुमार पुत्र द्वारिकाप्रसाद वैश्य 2 रामसेवक पुत्र विधिचंद वैश्य	वीना गोयल पत्नी, अमित, सुमित पुत्रगण, नीतू,सारिका,एकता पुत्रीयां रामसेवक पुत्र विधिचंद वैश्य	हाँ हाँ

ण्ड अधिकारी
लपुर (राज०)

9	68	0.5564	वन विभाग	वन विभाग	
10	68/404	0.2023	कमरूद्दीन पुत्र समशुद्दीन मुस0	गिरीश कुमार गर्ग जरिये वयनामा	हाँ
11	431/68	1.1507	1 कीर्ती पुत्री राकेश कुमार जाटव 2 जशोदा पत्नी राकेश कुमार 3 मुस्कान पुत्र राकेश कुमार 4 तुलसीरामकंचन पुत्र विशनलाल कंचन सदस्य भा0 शिक्षा समिति राज0 द्वारा संचालित भा0आ0वि0मं0 धौलपुर	1 कीर्ती पुत्री राकेश कुमार जाटव 2 जशोदा पत्नी राकेश कुमार 3 मुस्कान पुत्र राकेश कुमार 4 तुलसीरामकंचन पुत्र विशनलाल कंचन सदस्य भा0 शिक्षा समिति राज0 द्वारा संचालित भा0आ0वि0मं0 धौलपुर	हाँ हाँ हाँ हाँ
12	432/68	0.3541	नगर पलिका धौलपुर	नगर परिषद धौलपुर	

आराजी खसरा नम्बर 68/395 के सहखातेदार काश्तकार जगदीश प्रसाद अग्रवाल पुत्र रामस्वरूप जाति वैश्य निवासी कोठी धौलपुर ने दिनांक 25.4.2022 को प्रस्तावित तरमीम बावत सहमति आवेदन इस आश्य का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के मौका कब्जा निर्माण से छेड़छाड किये बिना खसरा नम्बर 68/395 की तरमीम की जाती है तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है, यदि प्रार्थी के कब्जे निर्माणशुदा भूमि में कोई हस्तक्षेप या परिवर्तन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी की कोई सहमति नहीं है। श्री जगदीश प्रसाद पुत्र नेमीचन्द जाति वैश्य निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी धौलपुर ने दिनांक 25.4.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर प्रस्तावित तरमीम पर अपनी सहमति प्रदान की गई। शीला एवं मीना पुत्रीयान रामखिलाडी की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा दिनांक 25.4.2022 को प्रस्तावित तरमीम के संबंध में सहमति प्रदान की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 24.10.1994 के द्वारा तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिया गया था कि मौके पर उपलब्ध भूमि के अनुसार आनुपातिक कमी की जाकर तरमीम के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे एवं प्रकरण में आदेश दिनांक 01.04.2008 द्वारा तहसीलदार धौलपुर को पूर्व आदेश दिनांक 24.10.1994 की पालना करते हुए प्रस्तावित तरमीम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये थे। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी पत्रांक राम/भू0अ0/एनएनआरएमपी/एफ–126/2018/1586 दिनांक 16.08.2018 से मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम कर सेग्रीगेशन कार्य को कराये जाने के निर्देश दिये गये, तथा खसरा नम्बर 68 को ऑनलाईन किये जाने के लिए माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के अर्द्ध शासकीय पत्रांक 3138 दिनांक 03.09.2021, पत्रांक 4519 दिनांक 25,11,2021, पत्रांक 4872 दिनांक 16.12.2021 तथा पत्रांक 110 दिनांक 18.01.2022 द्वारा निर्देश जारी किये गये है। जिसके सन्दर्भ में तहसीलदार धौलपुर द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम भूमि की तरमीम नक्शा प्रस्तावित किया है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित तरमीम पर खातेदारों की सहमति पेश की गई किन्तु जगदीश प्रसाद पुत्र रामस्वरूप द्वारा सहमति इस शर्त पर पेश की है कि आराजी खसरा नम्बर 68/395 पर उनके निर्माणशुदा भूमि में कोई हस्तक्षेप या परिवर्तन ना हो, श्री गिरीश कुमार गर्ग जिनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में यह तहरीर किया है कि उक्त खसरा नम्बर के खातेदार अनिलकुमार, मीनादेवी एवं राधेश्याम का हिस्सा उसके द्वारा जरिये वयनामा क्रय कर लिया है तथा सहखातेदार जगदीश प्रसाद की भूमि कनवर्ड है मौके पर काबिज हैं मौके पर उसे जो भूमि प्राप्त हुई है उसी पर काबिज रहेगा श्री जगदीश प्रसाद की कब्जाशुदा भूमि में किसी प्रकार का

खण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज)

हस्तक्षेप नही करूगा। उसके द्वारा श्री जगदीश प्रसाद की मौके पर कब्जा अनुसार भूमि यथावत रखते हुए तरमीम किये जाने मे सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत तरमीम प्रस्ताव में यह अंकित किया है कि उन्होंने की ग्राम झोर की आराजी खसरा नम्बर 68 के सभी खातेदारो के मौके पर वास्तिविक कब्जे की स्थिति के अनुसार तरमीम प्रस्ताव तैयार किये है जिसके अनुसार सभी खातेदारो के द्वारा नक्शा तरमीम किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की गई है। तहसीलदार धौलपुर के द्वारा उक्त आराजी की मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार नक्शा में संशोधन करते हुए नवीन नक्शा तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया है। हम माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी निर्देशो की पालना में तहसीलदार द्वारा ग्राम झोर तहसील धौलपुर की आराजी खसरा नम्बर 68 की प्रस्तावित तरमीम एंव सभी खातेदारो के द्वारा प्रस्तावित तरमीम पर दी गई सहमति से सहमत है और तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित नक्शा तरमीम को स्वीकार किया जाना प्रस्तावित नक्शा तरमीम के अनुसार नक्शा तरमीम किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के अर्द्ध शासकीय पत्रांक 3138 दिनांक 03.09.202, पत्रांक 4519 दिनांक 25.11.2021, 4872 दिनांक 16.12.2021 एवं 110 दिनांक 18.01.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में तहसीलदार धौलपुर द्वारा ग्राम झोर तहसील धौलपुर की आराजी खसरा नम्बर 68 के सभी खातेदारो के मौके पर कब्जे के अनुसार प्रस्तावित नक्शा का अनुमोदन किया जाता है तथा तहसीलदार धौलपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह ग्राम झोर तहसील धौलपुर की आराजी खसरा नम्बर 68 पर श्री जगदीश प्रसाद की भूमि मौके पर कब्जा अनुसार यथावत रखते हुए सभी खातेदारो के मौके पर कब्जे की स्थिति एवं प्रस्तावित नक्शा के अनुसार नक्शा में तरमीम की जावे। तहसीलदार धौलपुर को प्रस्तावित नक्शा की प्रति सहित आदेश पालना हेतु प्रेषित किया जावे। प्रकरण फेसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हों।

निणर्य मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

9.5.2022 रिव्यू प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु दिनांक 06.05.2022 के आदेश की क्रियान्विति रिव्यू प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक स्थगित रखी जाती है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)